बिहार सरकार

अन0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0– 5/निदे0(छात्रवृति प्रवे0)200–27/2018–30

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

सहायक निदेशक(मु0)
–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ।

पटना, दिनांक – 02.08.2018.

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में संकल्प संख्या–1140 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रेतर तैयारी हेतु एकमुश्त ₹50,000/–(पचास हजार रू0) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/–(एक लाख रू0) का लाभ देने हेतु अनुसूचित जाति मद में ₹400.00 लाख (चार करोड़ रू0) एवं अनुसूचित जनजाति मद में ₹ 22.50 लाख (बाईस लाख पचास हजार रू0) अर्थात कुल ₹422.50 लाख (चार करोड़ बाईस लाख पचास हजार रू0) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में संकल्प संख्या–1140 दिनांक–10.05.2018 के आलोक में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अग्रेतर तैयारी हेतु एकमुश्त ₹50,000/-(पचास हजार रू0) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/–(एक लाख रू0) का लाभ देने हेतु अनुसूचित जाति मद में ₹400.00 लाख (चार करोड़ रू0) एवं अनुसूचित जनजाति मद में ₹22.50 लाख (बाईस लाख पचास हजार रू0) अर्थात कुल ₹422.50 लाख (चार करोड़ बाईस लाख पचास हजार रू0) मात्र की स्वीकृति पत्रांक–28 दिनांक–02.08.2018 द्वारा प्रदान की गई है। तदनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत राशि अनुसूचित जाति मद में ₹400.00 लाख (चार करोड़ रू0) एवं अनुसूचित जनजाति मद में ₹ 22.50 लाख (बाईस लाख पचास हजार रू0) अर्थात कुल ₹422.50 लाख (चार करोड़ बाईस लाख पचास हजार रू0) मात्र आवंटित की जाती है।

2– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए उपबंधित राशि एवं उद्व्यय के आलोक में राज्य स्कीम मांग सं0–44 के अन्तर्गत **अनुसूचित जाति** के लिए मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0107–शिक्षा–विषय शीर्ष–0107.34.01– छात्रवृत्ति/वजीफा– विपत्र कोड– 44–2225012770107 तथा **अनुसूचित जनजाति** के लिए मांग सं0–44 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण –उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101.34.01–छात्रवृत्ति/वजीफा–विपत्र कोड–44–2225022770101 के अधीन बजट उपबंध से राशि वहन किया जायेगा।

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक(मु0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे। वे राशि की निकासी कर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में निदेशालय स्तर पर "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" के लिए संचालित बैंक खाता में संधारित करेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

4– निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी विभागीय संकल्प संख्या–1140 दिनांक–10.05.2018 एवं मार्गदर्शिका ज्ञापांक–1776 दिनांक–20.07.2018 के माध्यम से कार्यान्वित होनेवाली योजना पर ही राशि का व्यय किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

5– इस योजना के लिए ऑन लाईन माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच करने के पश्चात् त्रुटिरहित सत्यापित, अनुमोदित एवं स्वीकृत समेकित सूची की राशि वित्त विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–3808 दिनांक–02 जून, 2017 के आलोक में आधार (वित्तीय और सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 {Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and and other Susidies, Benefits and Services) Act, 2016} एवं समय–समय पर निर्गत संकल्प/ अनुदेशों के आलोक में विभाग के स्तर पर PFMS के माध्यम से लाभान्वित होनेवाले अभ्यर्थियों के बैंक एकाउंट में राशि का अन्तरण करेंगे।

6– राशि का व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

7– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण का अधिकार होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

9– आवंटित राशि योजना उद्व्यय एव बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।

10– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दिया जाय।

बिश्वासभाजन

02.08.2018

(मिथिलेश कुमार)

निदेशक।

ज्ञापांक– 5/निदे0(छात्रवृति प्रवे0)200–27/2018–30 पटना, दिनांक– 02·08·2018

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार पटना/ प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/ सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक– 5/निदे0(छात्रवृति प्रवे0)200–27/2018– 30 पटना, दिनांक– 02-08·2018

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सिचाई भवन, पुराना सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक– **5/निदे0(छात्रवृति प्रवे0)200–27/2018–** 30 पटना, दिनांक–02.08.18

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/उपनिदेशक(मु0) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ सहायक निदेशक(मु0)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग /प्रशाखा पदा0–5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/लेखा शाखा (दोहरी प्रति में) आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

02.8.2018

निदेशक।

ज्ञापांक– **5/निदे0(छात्रवृति प्रवे0)200–27/2018–** 30 पटना, दिनांक– 02.08.18.

प्रतिलिपि:– सचिव, संध लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस नई दिल्ली/ सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

02.8.2018

निदेशक।

alloatment-medhabriti plan-18-19 education